संख्या-53/2022/1783-ई-2/तेरह-2022-229956

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2022

विषय: मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर में सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 770 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्थापित किये गये 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से ई.एन.ए. के साथ-साथ अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-45/2022/1647ई-2/तेरह-2022-229956 दिनांक 23-09-2022 एवं तद्विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-232/दो-प्रा.डी.-111/ त्रिवेणी आस., दिनांक 10-10-2022 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-10-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1765ई-2/तेरह-2022-229956 दिनांक 20-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भगत पत्र दिनांक 10-10-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुजफ्फरनगर को आसवनी की सी-हैवी शीरे एवं ग्रेन पर आधारित क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर सी-हैवी शीरे पर आधारित 220 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 770 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु continuous distillation process में स्थापित 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के पृथक ग्रेन प्लान्ट से 50-50 प्रतिशत अर्थात 30 कि.ली. प्रतिदिन ई.एन.ए. का निर्माण तथा 30 कि.ली. प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण किये जाने की प्रक्रिया व्यवहारिक तौर पर सम्भव न होने के कारण शासनादेश संख्या-45/2022/1647ई-2/तेरह-2022-229956 दिनांक 23-09-2022 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति में आंशिक संशोधन करते हुए 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रेन प्लान्ट से 50-50 प्रतिशत अर्थात वर्ष में 105 लाख ब.ली. अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 105 लाख ब.ली. ई.एन.ए. का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23-09-2022 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in